

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(आठवीं लोक सभा)



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद

कां

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 16 जनवरी, 1955 (26 जनवरी 2006 शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 2, पंक्ति 11, "पुरुषोत्तम" के स्थान पर "पुरुषोत्तम" पढ़िये।

पृष्ठ 5, पंक्ति 7, "समवेत" के स्थान पर "समवेत" पढ़िये।

पृष्ठ 9, नीचे से पंक्ति 2, "बाहर और" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 18, पंक्ति 12, "समारा" के स्थान पर "हमारा" पढ़िये।

प्राक्कथन

आठवीं लोक सभा के लोक सभा वाद-विवाद का यह पहला खण्ड है। सातवीं लोक सभा के अवनसान तक लोक सभा वाद-विवाद के दो संस्करण निकाले जाते थे; (एक) मूल संस्करण जिसमें सभा की कार्यवाही का विवरण उन्हीं भाषाओं में छापा जाता था जिनमें वह सभा में सम्पन्न हुई हों, पर जो भाषण क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते थे उनका अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद सम्मिलित किया जाता था और उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में छापा जाता था, पर साथ ही उन भाषणों को प्रकोष्ठकों में फारसी लिपि में भी छापा जाता था, और (दो) हिन्दी संस्करण जिसमें हिन्दी में सम्पन्न हुई कार्यवाही को मूल रूप में, उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में तथा अंग्रेजी में हुई कार्यवाही का एंव क्षेत्रीय-भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद छापा जाता था।

2. आठवीं लोक सभा के प्रथम सत्र से, लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति के निर्णय के अनुसार, "लोक सभा वाद-विवाद" के दो संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं; (एक) अंग्रेजी संस्करण जिसमें अंग्रेजी में सम्पन्न कार्यवाही मूल रूप में और हिन्दी या किसी क्षेत्रीय भाषा में हुई कार्यवाही का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होगा; और (दो) हिन्दी संस्करण अपने वर्तमान रूप में, पर उर्दू भाषणों को देवनागरी लिपि में छापने के साथ उन्हें फारसी में प्रकोष्ठकों में भी छापना जाएगा।

3. इसके अलावा लोक सभा की कार्यवाही का मूल संस्करण भी केवल रिकार्ड और संदर्भ के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी सजिल्द प्रतियां संसद ग्रन्थालय में रखी जा रही हैं।

4. अंग्रेजी और हिन्दी दोनों संस्करणों में एक समुचित संकेत दिया जा रहा है, जो यह बर्णायेंगा कि कार्यवाही का कौन सा अंश-विशेष मूल रूप में अंग्रेजी/हिन्दी में है और कौन सा अनूदित है।

5. आशा है कि अंग्रेजी और हिन्दी के ये अलग-अलग संस्करण सदस्यों एंव रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली;
जनवरी, 1985

सुभाष काश्यप,
महासचिव।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 1, पहला सत्र, 1985/1906 (शक)

अंक 2 बुधवार, 16 जनवरी, 1985/26 पीष, 1906 (शक)

| विषय | पृष्ठ |
|-------------------------------|-------|
| सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण | 1 |
| अध्यक्ष का निर्वाचन | 2 |
| अध्यक्ष महोदय को बधाइयाँ | 3 |
| श्री राजीव गांधी | 3 |
| श्री सी. माधव रेड्डी | 3 |
| डा. सरदीश राय | 3 |
| श्री पी. कोलनदईवेलु | 4 |
| प्रो. मधु दंडवते | 5 |
| श्री नारायण चौबे | 6 |
| श्री शरदचंद्र गोविन्दराव पवार | 6 |
| श्री अब्दुल रशीद काबुली | 7 |
| श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी | 8 |
| श्री इब्राहीम सुलेमान सेट | 8 |
| श्री अमर राय प्रधान | 8 |
| श्री जार्ज जोसफ मुंठाकल | 9 |
| श्री फ्रैंक एंथोनी | 9 |
| श्री नरबहादुर भंडारी | 12 |
| अध्यक्ष महोदय | 15 |
| संक्षिप्तों का परिचय | 15 |

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

लोक सभा

बुधवार, 16 जनवरी, 1985/.26 पीष, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री जगजीवन राम) पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

सामयिक अध्यक्ष महोदय : महासचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें जिन्होंने अभी शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है।

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की :

- श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइन)
- श्री के० पी० सिंह देव (डेंकानाल)
- श्री रामदेव राय (समस्तीपुर)
- श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर)
- श्री दलबीर सिंह (सिरसा)
- श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा (शिमोगा)
- श्री जी० देबराय नायक (कनारा)
- श्री मार्तण्ड सिंह (रीवा)
- श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ)
- श्री डी० बी० शिगड़ा (दहानू)
- श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट)
- श्री नरबहादुर भंडारी (सिक्किम)
- श्री हरीश रावत (अलमोड़ा)
- श्री मानिक सन्याल (जलपाईगुड़ी)
- श्री मनोरंजन ह्याल्बर (मथुरापुर)
- श्री बी० बी० देसाई (रायचुर)

सामयिक अध्यक्ष महोदय : कोई सदस्य, जो यहां उपस्थित है और जिसने अभी शपथ नहीं ली है, अब आकर शपथ ग्रहण कर ले—

कोई नहीं है।

अब हम अगला विषय लेते हैं।

11.11 म० पू०

अध्यक्ष का निर्वाचन

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : श्री प्रस्तावकर्ता :

“कि इस सभा के सदस्य श्री बलराम को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाए।”

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

सामयिक अध्यक्ष महोदय : श्री श्याम लाल यादव द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“कि इस सभा के सदस्य श्री बलराम को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाए।”

[अनुवाद]

श्री बकम पुरुषोत्तम (अलप्पी) : मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

सामयिक अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव :

“कि इस सभा के सदस्य श्री बलराम को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाए।”

श्री श्याम लाल यादव द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव :

“कि इस सभा के सदस्य श्री बलराम को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाए।”

श्री सुबिन जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हम किस प्रस्ताव पर मतदान कर रहे हैं— प्रधान मंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर या श्री श्याम लाल यादव द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर ?

सामयिक अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रस्ताव सदन के सम्मुख हैं। अब मैं श्री राजीव गांधी द्वारा पेश किए गए तथा श्री एच० के० एल० भगत द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य श्री बलराम को इस सभा का अध्यक्ष चुना जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सामयिक अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बलराम को इस सभा का विधिवत् निर्वाचित अध्यक्ष घोषित करता हूँ। मैं अब श्री बलराम को अध्यक्ष का वासन ग्रहण करने के लिये आमंत्रित करता हूँ।

(प्रधान मंत्री, श्री एच. के. एल. भगत, श्री सी. माधव रेड्डी, श्री ईरन्तु कम्मानु रेड्डी, प्रो. मधु वण्डवते, डा. सरदीश राय तथा श्री पी. कोलन दार्ड बेलू, श्री बलराम को अध्यक्ष-पीठ तक ले गये।)

[अध्यक्ष महोदय (श्री बलराम) पीठासीन हुए]

11. 17 म० प०

अध्यक्ष महोदय को बधाइयां

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही के महीनों में कई घटनायें घटी हैं, परन्तु आंतक और अशांति की स्थिति के बाद भारत एक नवे मजबूत देश के रूप में उभर कर सामने आया है। महोदय, आपके सामने एक नया सदन, बहुत से विभिन्न चेहरे और बहुत ही अल्प-संख्या में विपक्षी सदस्य हैं। हम यह कहना चाहेंगे कि यद्यपि हमारे दल को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, हम इस स्थिति का विपक्ष पर प्रहार करने के लिये इस्तेमाल नहीं करेंगे। बल्कि हम अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से उनके सामने रखेंगे और उन्हें अपनी बात समझावेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले पांच वर्षों में कई विषय स्थितियों का सामना करत हुए अपने साहस का परिचय दिया है और हमें प्रसन्नता है कि आने वाले पांच वर्षों में आप हमारे साथ रहेंगे। आप कृषक होने के नाते आम लोगों की नब्ज को जिस खूबी से पहचानते हैं वह सभा के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। कृषक समुदाय से, जोकि हमारे देश का सबसे बड़ा समुदाय है आपका जो संबंध रहा है उससे राष्ट्र का मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ।

श्री सी. माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल तेलगु देशम और अपनी ओर से आपको इस सम्मानित सदन के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई देता हूँ। अब जब कि मैं आपको बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूँ तो मुझे वह समय याद आ रहा है जब श्री मावलंकर पहले अध्यक्ष, एक महान अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस सदन की परम्पराओं की नींव डाली थी। मुझे उस समय संसद सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैंने श्री मावलंकर को इस सभा की कार्यवाही बड़ी ही गरिमापूर्ण ढंग से चलाते हुए तथा इस सभा की परम्पराओं और प्रक्रियाओं की नींव डालते हुए देखा था। तत्पश्चात्, श्री मावलंकर के बाद एक के पश्चात् एक जो भी अध्यक्ष आये वे श्री मावलंकर के पदचिन्हों पर चले और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक बहुत ही सक्षम अध्यक्ष के रूप में परम्पराओं को बनाये रखेंगे और उन्हीं पुरानी परम्पराओं के अनुसार संसद की कार्यवाही चलाते रहेंगे।

डा. सरदीश राय (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सिवादी) की ओर से आपको इस सभा का दूसरी बार अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई देता हूँ। यद्यपि

विपक्षी सदस्यों की संख्या कम है तथापि पिछले चुनावों में जितने वोट डाले गए हैं उनके 50 प्रतिशत वोट हमें मिले हैं। हमें आशा है और विश्वास है कि आप तथा सत्तारूढ़ दल विपक्षी दलों को, जो कि इस देश के करीब 50 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उचित सम्मान देंगे।

इस संबंध में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि पहले प्रायः महत्वपूर्ण नीति संबंधी वक्तव्य सदन में बाहर दे दिया जाता करते थे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरा अनुरोध है कि आप देखें कि ऐसी घोषणाएं सदन से बाहर न की जाकर केवल सभा में ही की जाएं।

हम विपक्षी दल आपको तथा इस सभ्य को पूरा-पूरा सहयोग देंगे, ताकि इस सदन की कार्यवाही समुचित ढंग से तथा सुचारु रूप से चल सके।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने दल की ओर से तथा अपनी ओर से आपको इस अवसर पर बधाई देता हूँ।

श्री पी. कोलनबाईबेलू (मोबिलिटीविद्यालयम्) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, आल इंडिया अण्णा द्रमुक पार्टी तथा अपने मुख्यमंत्री श्री एम. जी. रामचन्द्रन की ओर से हम आप की सफलता की कामना करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह दल की ओर से बधाई दे सकते हैं किंतु मुख्यमंत्री की ओर से बधाई नहीं दे सकते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री पी. कोलनबाईबेलू : आप विधान मंडल की सर्वोच्च संस्था इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद अध्यक्ष की हैसियत से इस पीठ पर आसीन हुए हैं। हमें तथा सदन को इस बात की अच्छी तरह से यह जानकारी है कि आप एक विद्वान हैं, कई क्षेत्रों में निपुण हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप सरकारी पक्ष तथा विपक्ष के प्रति सदा निष्पक्ष रहे हैं। आज आप दूल्हा लग रहे हैं। इसीलिए आपने पगड़ी भी बांध रखी है।

अध्यक्ष महोदय : दुल्हन नहीं !

श्री पी. कोलनबाईबेलू : महोदय आपकी पगड़ी मुझे अपने जवानी के दिनों की याद दिला रही है। आल इंडिया अण्णा द्रमुक की ओर से हम आपकी सफलता की कामना करते हैं और आप अध्यक्ष के रूप में रजत जयंती वर्ष मनायें। माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के योग्य, सक्रिय और गतिशील नेतृत्व में समूचा भारत तेजी से विकास करेगा और हम आपकी, आपके जीवन के हर क्षण में सफलता की कामना करते हैं।

श्री धन्यवाद।

प्रो. मधु इच्छवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सम्मानित सभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई देने में सभा के नेता तथा अन्य विपक्षी नेताओं के साथ हूँ। आप एक ऐसे पद पर आसीन हैं जिनके साथ महान परम्पराएं और अनेक परिपाटियाँ जुड़ी हुई हैं। महोदय यदि अनुमति दें तो मैं आपको श्री विठ्ठल भाई पटेल का स्मरण कराना चाहता हूँ जिनका दमकता चित्र आपके सामने टंगा है, जिन्होंने इस सभा में महान परम्पराएं स्थापित की तथा कार्यपालिका के समक्ष विधायिकों की सर्वोच्चता की रक्षा की। अतः इसी सभा में घटित एक महान ऐतिहासिक घटना का उल्लेख यहां असंगत न होगा।

अध्यक्ष महोदय, 8 अप्रैल, 1929 को एक महान क्रांतिकारी श्री भगवतसिंह ने दर्शक दीर्घा से संसद और जनता की आत्मा को झकझोरने के लिए एक नकली बम फेंका सभा स्थगित कर दी गई। बाद में जब सभा पुनः समवते हुई तो श्री विठ्ठल भाई पटेल ने देखा कि दर्शक दीर्घा में एक वर्दीधारी अंग्रेज पुलिस अफसर बैठा है। उसे देखते ही वह चिल्लाए और पूछा "मेरी अनुमति के बिना इस सभा की दर्शक दीर्घा में एक पुलिस अफसर को क्यों आने दिया गया है।" इस पर सरकारी पक्ष में बैठा 'होम मंत्री' जो अंग्रेज ही था, अपनी सीट से कुछ अकड़ कर खड़ा हुआ और उसने कहा 'प्रेसिडेंट'—उस समय अध्यक्ष को 'स्पीकर' न कह कर 'प्रेसिडेंट' कहा जाता था,—"यह अफसर मेरी अनुमति से वहां बैठा है। अध्यक्ष महोदय ने उस सदस्य को गुस्से से उल्टा जवाब दिया "आप अपना पद ग्रहण कीजिए, थोड़ा आत्म-संयम बरतिए। अन्यथा मुझे आपको सभा से बाहर निकालना पड़ेगा।" 'होम मंत्री' अपनी जगह पर बैठ गया और वह पुलिस अफसर दर्शक दीर्घा से भाग गया। इस तरह अध्यक्ष ने अपना प्राधिकार सिद्ध किया और कार्यपालिका के प्रति विधायिका की सर्वोच्चता स्थापित की। महोदय ऐसी परम्पराएं आपके पद के साथ जुड़ी हैं।

महोदय, इस बार आप एक ऐसी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं जो अब केवल संसदीय प्रतिभाओं की सभा नहीं रह गई है। अब सौभाग्य से इसमें कला और सौंदर्य का भी समागम हुआ है। इस बात की मुझे प्रसन्नता है। लेकिन एक आशंका भी है कि शायद आपकी सौंदर्य बोध की भावना के कारण वे लोग आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते रहें और आप हमारी बात न सुनें। मैं आशा करता हूँ आपकी सौंदर्य बोध की यह भावना इस भेद-भाव को दूर करने में बाधक नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा भेद-भाव नहीं करेंगे।

मैं सभा के नेता की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था उन्होंने प्रस्ताव पेश किया :

"कि श्री बलराम को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाए।"

न केवल इस सभा में अपितु राष्ट्र मण्डल और अन्तःसंसदीय संघ में आप 'बलराम जाखड़' के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हमारे युवा प्रधान मंत्री जोश में आकर जिस तरह हर क्षेत्र में कांट-छांट कर रहे हैं शायद उसी प्रकार उन्होंने आपके नाम को भी छोटा कर दिया है। लेकिन महोदय यह आपके प्रति अन्याय है किसी भी छोर से आपका नाम छोटा नहीं हो सकता क्योंकि आपका व्यक्तित्व महान है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रो. दण्डवते को याद दिलाना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में वह—'कैच योर इअर' शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हिन्दी में।

[हिन्दी]

कान नहीं पकड़ने चाहिए। दण्डवते जी को मालूम होना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय के फार्म में नाम बलराम जाखड़ नहीं है, खाली बलराम है।

अध्यक्ष महोदय : उनको कुछ थोड़ी सी हमदर्दी इसी से कर लेने दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : हमारे प्रधान मंत्री सुविज्ञ हैं, लेकिन मेरी कामना है कि वे बिनोदशील भी हों। जहाँ तक इस सभा का संबंध है, मैं समझता हूँ आप निश्चित रूप से सभा में गणपूर्ति बनाए रखने के विषय में चिंतित होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम न केवल गणपूर्ति बनाए रखने में बल्कि सभा की मर्यादा बनाये रखने में भी सभा के नेता और अध्यक्ष के साथ सहयोग करेंगे। यह हमारा काम होगा।

पिछली लोक सभा में हमारे अध्यक्ष श्री बलराम थे और लक्ष्मण हमारे उपाध्यक्ष थे। फलतः इस सभा में वस्तुतः रामराज्य था। लक्ष्मण अभी सभा में नहीं पहुंच पाये हैं। इसलिए वह यहाँ नहीं होंगे। लेकिन मेरे पास एक ठोस और रचनात्मक प्रस्ताव है। सभा में लक्ष्मण की कमी को पूरा करने हेतु जब आप सभापतियों की तालिका बनायें तो उसमें एक सीता भी नियुक्त कीजिये ताकि सभा में रामराज्य आ सके।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई लक्ष्मण नहीं है।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं आपको जनता पार्टी की ओर से पुनः बधाई देता हूँ और यह आश्वासन देता हूँ कि सभा की कार्यवाही संचालन में हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे। अन्त में, मैं कामना करता हूँ कि शून्य काल के दौरान सभा में पूर्ण शान्ति रहे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं आपके इस सभा का पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर अपने दल सी. पी. आई. की ओर से आपको बधाई देता हूँ। मैंने नोट किया है कि हमारे नये प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वह अपने बहुमत का उपयोग विपक्ष को जोकि उनकी राय में अधिक नहीं है, दबाने के लिए नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज की यह सभा 1980 की सभा जैसी नहीं है। इस सभा में पंजाब के प्रतिनिधि नहीं हैं। न ही असम के प्रतिनिधि आये हैं। पगड़ी-धारी महान सिख यहाँ बैठे नजर नहीं आते। इस तरह यह हमारा दुर्भाग्य है और मैं आशा करता हूँ कि श्रीधर ही इस सभा में पंजाब और असम के प्रतिनिधि भी आ जायेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप न केवल विपक्ष, सत्ता पक्ष के हितों को ही देखेंगे बल्कि लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करेंगे।

इस सम्मानित सभा का पुनः अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री शरदचन्द्र गोविन्दराव पवार (धारमती) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्रजातन्त्र के सर्वश्रेष्ठ मन्दिर में आपने प्रमुख पद ग्रहण किया है। यह जिम्मेदारी

आपने दूसरी बार ली है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इस सदन में रूलिंग पार्टी की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है और अपोजीशन पार्टीज की संख्या इतनी कम है, ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी यह है कि हम जो विपक्ष में बैठने वाले लोग हैं, हमारे मन में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि लोगों के सवाल हम यहां पर रख सकते हैं, सड़कों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपका ध्यान विपक्ष की ओर रहना चाहिए और यह ध्यान आप रखेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपके जो फैसले होते हैं, उन पर पूरे देश का ध्यान रहता है। कई बार स्टेट लेजिस्लेचर्स में कोई क्राइसिस खड़ी होती है तब पार्लीमेन्ट में क्या डीसीजन हुआ है—इस ओर ध्यान जाता है। इस प्रकार से आपके फैसले सभी विधान मंडलों का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। इस बात को भी आप हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। आपको सहयोग देने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम प्रजातन्त्र पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हमारा हमेशा के लिए आपको सहयोग रहेगा। आप देहात से आए हैं और हिन्दुस्तान के 70 फीसदी देहात में रहने वाले लोगों के सवाल हम यहां पर उठाना चाहते हैं। उम्मीद है, इस बारे में भी आपकी हम लोगों को मदद रहेगी। आप सफल बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि आपका नाम ही “बलराम” है। आपका यह बल प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिए मिलेगा और आपका “राम” हिन्दुस्तान की जनता के जीवन में राम बनने के लिए मददगार होगा।

मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : इज्जत-माब स्पीकर, मैं आपको नेशनल कान्फ्रेंस की तरफ से मुबारकबाद दे रहा हूं, जो आपको इस अजीम संसद पर जगह मिली है।

जहां तक मौजूदा हालात का ताल्लुक है, अपोजीशन की तादाद घट गई है, लेकिन मैं यकीन से जान सकता हूं कि आप और प्राइम मिनिस्टर जमहूरियत के बुनियादी मकसद को पाए तकमील तक पहुंचावेंगे, जिसमें कि अपोजीशन को एक अहम किरदार अदा करना है। बाबजूद इसके कि हमारी गिनती कम है, लेकिन अपोजीशन को वही सम्मान, वही इज्जत मिलेगी, जिस की कि अपोजीशन मुस्तहक है और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हालिया तकरीर में और अपोजीशन के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद जो तास्सुर दिया है कि अपोजीशन की कद्र करेंगे और जो अपोजीशन के आरा हैं, जो ख्यालात हैं, जो विचार हैं, उनकी मुल्क में कद्र होगी और सरकार उन पर हमेशा ध्यान देगी। यह तबक्को करता हूं कि आप बहैसियत स्पीकर के हमारे हकूक का ताहफ्फुज करेंगे।

जहां तक इलाकाई जमातों का ताल्लुक है, बाबजूद इसके कि यहां पर अपोजीशन की तादाद कम हो गई है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं जिसमें तेलुगु देसम, नेशनल कान्फ्रेंस, ए. डी. एम. के., डी. एम. के., इस हकीकत को हमें कबूल करना होगा कि मुल्क में इलाकाई जमातें भी आबाम के जजबात और ख्वाहिशात की नुमाइन्दगी करती हैं और आबाम को उनके साथ भी बालिहाना लगाव हैं। यह बात बिल्कुल वाजिब होनी चाहिए, नेशनल कान्फ्रेंस जिसकी मैं नुमाइन्दगी कर रहा हूं बड़ी

नेशनल जमातों के मुकाबले में कुछ कम ईमानदार और वफादार नहीं है। इस मुल्क की वफादार है और बराबर का उसमें सरकार को और आपको भी ताख्बुन मिलेगा, इस मुल्क को बनाने में, इसको तरक्की दिलाने में और इसको आगे ले जाने में।

मैं आपको नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और हमारी आठवीं पार्लियामेंट का जो नया दौर आगाज हो रहा है, मैं अल्लाहताला से दुआ मांगता हूँ कि वह अजीमतर हिन्दुस्तान की तामीरी तरक्की में हमारी मदद फरमायेंगे।

श्री खंडुपाटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आठवीं लोक सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, इस पर मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अपनी ओर से आपको मुबारकवाद देता हूँ।

हम तो पार्लियामेंट के लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली के लिए भी नए हैं। मैं विधान सभा का सदस्य रह चुका हूँ। जनता की समस्याएं ज्यादा हैं, लेकिन विरोधी पक्ष में संख्या कम है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी तरफ विशेष रूप से देखेंगे और ज्यादा समय देंगे। समय ज्यादा देना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हम जनता की समस्याएं लोकसभा में उठाना चाहते हैं। समस्याएं ज्यादा हैं, अपोजीशन में हमारी संख्या कम है, इस वजह से हो सकता है कि हम कभी-कभी आप के ऊपर गुस्सा करें, लेकिन आप हम पर गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि बच्चा समझकर माफ कर देंगे। इस लोक सभा में पचास प्रतिशत लोग नए हैं और विरोध पक्ष में हमारी संख्या कम है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि गणतन्त्र की रक्षा के लिए, जनता की समस्याओं को लोक सभा में उठाने के लिए आप हमें ज्यादा समय देंगे और हमें उम्मीद है, आप हमारी मांग को पूरा करेंगे। मैं पुनः अपने दल की ओर से और अपनी ओर से आपको अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजोरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सदन का सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूँ। हम में से जो सातवीं लोक सभा के सदस्य थे, वे सभी भली-भांति जानते हैं कि आपने विगत में सभा की कार्यवाही का संचालन बड़ी कुशलता से किया और सातवीं लोक सभा में जब कभी कोई स्थिति पैदा हुई उसका निपटारा भी अत्यन्त सराहनीय ढंग से किया। आपका सर्वसम्मति से पुनः चुना जाना आपकी क्षमता और निष्पक्षता का प्रमाण है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में कमजोर पड़ गए विपक्ष को आपसे अधिक सहानुभूति मिलेगी और आप संसद के इस सदन में आपके पूर्ववर्ती महान अध्यक्षों द्वारा स्थापित स्वस्थ परम्पराओं को बनाये रखेंगे।

मैं आपको अपनी तथा अपनी पार्टी मुस्लिम लीग की ओर से पुनः बधाई देता हूँ। मैं आने वाले दिनों में आपकी सफलता की कामना करता हूँ।

श्री अमर राय प्रधान (कूब बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी फार्बर्ड ब्लॉक की ओर से आपके इस सदन का दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के इस महान अवसर पर बधाई देने में सदन के नेता

के साथ हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। मुझे मालूम है कि आप समय का उपयोग इस तरीके से करेंगे कि विपक्ष को अवसर मिलेगा विशेषकर शून्य काल में क्योंकि सदन के नेता के अनुसार इस बार हम संख्या में कम हो सकते हैं लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम इस देश की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने के लिये काफी हैं।

महोदय, मुझे पता है कि कुछ मिनट पहले आप एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्य के जिसका इस सदन में प्रचंड बहुमत है, लेकिन अब से आप किसी पार्टी से सम्बद्ध नहीं होंगे।

एक माननीय सदस्य : यह असंसदीय है। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : यह पूर्णतय संसदीय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ कि इस सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाये रखने के लिये आपको हबारा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद !

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुबत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी केरल कांग्रेस की ओर से आपको बधाई देता हूँ।

गत पांच वर्षों में आपने इस सभा की ईमानदारी और कुशलता के साथ सेवा की है। आप ऊंचे कद के और भारी हैं। आपके आदर्श और सिद्धान्त भी उतने ही ऊँचे हैं। मुझे दो शिष्ट-मंडलों में आपके साथ विदेश जाने का अवसर मिला था। आपने इन मौकों के अनुरूप काम किया और सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा कायम रखी है। आप अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अग्रणी हैं।

मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ क्योंकि आप किसान हैं और हमारी पार्टी किसानों के हितों का समर्थन करती है।

ईश्वर करे अगले पांच वर्षों में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप हमारा उचित मार्ग-दर्शन करते रहें। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ।

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्दिष्ट—एंग्लो इंडियन) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि अन्त में बोलने के कारण मेरे विचारों को कम महत्वपूर्ण नहीं आंका जाएगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ क्योंकि मैं यह समझता हूँ—मैं बाबूजी से क्षमा प्रार्थी हूँ—कि मैं वरिष्ठ सदस्य हूँ और मुझे इस सदन का वरिष्ठतम सदस्य होने का गौरव प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय, आपका पद सदैव ही सर्वोच्च उत्तरदायित्वपूर्ण पद रहा है लेकिन आज यह न केवल एक उत्तरदायित्वपूर्ण पद है बल्कि एक अत्यन्त संवेदनशील पद भी हो गया है। मैं स्वतंत्रतापूर्व के भारतीय संसदीय इतिहास का साक्षी हूँ क्योंकि मैं 1942 में इस सदन का सदस्य बन गया था। शायद 1942 से 1946 के बीच के समय को हमारे संसदीय इतिहास का हिस्सा नहीं माना जायेगा। मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि उस समय के सदस्यों के व्यवहार और वाद-विवाद के बाहर और स्तर से ऊपर उठना काफी कठिन है। अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन भारत के संसदीय इतिहास को एक नया मोड़ दे रहा है। श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) को

मिथी भारी विजय ऐतिहासिक है। इससे पहले यदि दो तिहाई बहुमत मिल जाता था तो उसे भारी बहुमत माना जाता था लेकिन इस बार कांग्रेस (आई) को जो बहुमत मिला है वह अभूतपूर्व है। उसे 80 प्रतिशत बहुमत मिला है। वस्तुतः यह एक चौकाने वाला बहुमत है और मेरे विचार से इसकी बुनियादी प्रेरणा का आधार पार्श्विक हत्या है। इस चौकाने वाले 80 प्रतिशत बहुमत के पीछे यही प्रेरणा काम कर रही थी। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वह यह है कि भारतीय जनमानस के सामने वह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक चुनौती थी। मैं उन व्यक्तियों में हूँ जिन्होंने कुछ समय तक यह कहा कि भारत को बाहरी और भीतरी शत्रुओं का समाना करना है और भारत के लोगों ने आज स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया है कि वे किसी भी बाहरी या भीतरी दुश्मन को भारत की एकता और ताकत को समाप्त या कम नहीं करने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको एक ऐतिहासिक चुनौती का सामना करना है। संतुलन बनाये रखना सरल नहीं होगा। आप स्वयंसेवक से 80 प्रतिशत वाले प्रचण्ड बहुमत और अत्यधिक कम विपक्ष के बीच संतुलन बनाये रखेंगे, ऐसी आशा है। मैं एक अग्रणी निर्दलीय सदस्य के रूप में इस सदन में 30 वर्षों से हूँ। मैं किसी विपक्षी दल को माराज नहीं करना चाहता किन्तु मैं आदर के साथ यह कहना चाहता हूँ कि शायद जनता के पञ्चप्रष्ट शासन के ढाई वर्षों की अवधि को छोड़कर हमारे यहां कुछ क्षेत्रीय-ग्रुपों के असावा लोकतांत्रिक विपक्ष कभी नहीं रहा।

श्री. मधु इण्डवले (राजापुर) : आप उसे पञ्चप्रष्ट शासन कह रहे हैं ?

श्री. नारायण चौबे : चाटुकारिता की भी कोई हव होती है।

श्री. इंद्रक एचनी : वास्तव में मैंने उसी स्थिति का उल्लेख किया है जो इन लोगों ने पूरे भारत के लोगों के समक्ष रखी है—अर्थात् यह कि वे किसी प्रकार से भी वैकल्पिक सरकार नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

मैं जाने कौन मेरे पीछे शोर मचा रहा है। मैं उन सज्जन से कहना चाहता हूँ कि भले ही वह कई युवों तक जीते रहें वह मेरी स्थिति तक दूर-दूर तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। मैं अपने छोटे से समुदाय का एकमात्र नेता हूँ। इन विचारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन ढाई वर्षों को छोड़कर हमारे यहां कभी भी मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं रहा है। मान्यता प्राप्त विपक्षी दल बनने के लिए उस दल के 54 सदस्य होने चाहिए। ऐसा कोई भी विपक्षी दल नहीं है। हमारी संसद में कभी भी मान्यता प्राप्त दल नहीं रहा है। इस बार कुछ असामान्य घटा है। पहली बार एक घोषित क्षेत्रीय दल संसद में सबसे बड़े ग्रुप के रूप में आया है। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वे फूट डालने वाले या क्षेत्रीय विषयों को इस सदन में न लायें।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन में मेरी क्या भूमिका रही है, उस के बारे में मेरे मित्रों को कुछ भी पता नहीं है। मैंने चीन के साथ युद्ध में हुई पराजय के बाद सरकार पर प्रहार करने वालों में मैं सबसे आगे था। पत्तकार बम्बुओं में ज्येष्ठ, श्री दुर्गादास ने, न केवल उस विपक्ष की ओर

से बोलने पर मेरी प्रशंसा की थी, जो वास्तव में न तो मेरी तरह बोल सकता था और मैं तो उस कांग्रेस पार्टी के लिए भी बोला था जो अपने मन की बात नहीं कह सकी थी। और मेरे इसी भाषण के कारण तत्कालीन रक्षक मन्त्री को त्यागपत्र देना पड़ा था। मैंने उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के अधिलेखन के समय सरकार पर सबसे पहले प्रहार किया था। उस समय जबकि जवाहरलाल पूर्णतया सर्वोसर्वा थे, मेरे समेत, हमने से दस नें अपनी क्षमता और कार्य के बल पर उनसे सम्मान पाया था।

क्या मैं अन्त में, आपसे सादर यह निवेदन कर सकता हूँ कि अध्यक्ष महोदय आप कृपया हाल ही की इस परम्परा को दोहरायें नहीं, क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूँ, हो सकता है इस सदन में तीन या चार क्षेत्रीय दल भी हों। इस सदन में उस समय 22 तथाकथित दल थे और अब उनकी संख्या घटकर 16 रह गई है (व्यवधान) हो सकता है वे इस सभा की परम्पराओं से अवगत न हों। होता यह था कि अध्यक्ष महोदय अपने विवेक से सदस्यों को बुलाते थे न कि उनकी ऊंची आवाज या जोर शोर से बात कहने की क्षमता को देखकर—वे मुझसे भविष्य में बहुत कुछ मुनेंगे—परन्तु मैं आपसे केवल यह निवेदन कर रहा हूँ आप जो कुछ करें वह कृपया आप परम्पराओं और उनकी तथा कथित संख्या को देख कर न करें। आप मर्यादा कम न करें। क्योंकि आप जो कुछ करते हैं, सम्मान-पूर्वक करते हैं। पहले की परम्परा यह रही है कि आपको पूर्ण विवेकाधिकार है। इस सभा में कोई अकेला विपक्षी दल नहीं है। भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय, जिनका मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विपक्ष के उन सदस्यों को बुलाया करते थे, जिन्हें वे समझते थे कि वे वाद-विवाद में किसी प्रकार का मानक स्थापित कर सकते हैं और उसमें गरिमा भर सकते हैं। यदि आप वास्तविक रूप में सिद्धांतों से दूर हटते हैं तो बहुधा वाद-विवाद का प्रारंभ में ही दम दौड़ दिया जाता है, और आप घोर अन्याय करते हैं। इस सभा में लगभग बीस स्वतन्त्र सदस्य हैं और आपको उन्हें भी अवसर देना होगा परन्तु यदि आप उपेक्षा ही करते जायेंगे तो वे लगभग 16 या 22 ही रह जायेंगे (व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, इस मुद्दे पर वाद-विवाद किया जा सकता है . . .
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान सोज जी, मैं जानता हूँ कि क्या करना है

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : वह आपके कक्ष में आकर विचार-विमर्श कर सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे सामने क्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं ? कृपया बंद आइये (व्यवधान)

श्री. क्लैक एंडर्नी : मैं तो केवल आपको उस बात के लिए बधाई देना चाहता था, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई अर्थात् आपको दिया गया अभूतपूर्व सम्मान क्योंकि आप वह पहले अध्यक्ष हैं जिन्हें फिर से अध्यक्ष चुना गया है।

[हिन्दी]

श्री नरबहादुर शंभारी (सिक्किम) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और सिक्किम संग्राम परिषद् की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। देश में जिस तरह से और रीजनल पार्टियाँ हैं उसी तरह से हमारी सिक्किम संग्राम परिषद् है। उसी रीजनल पार्टी सिक्किम संग्राम परिषद् की तरफ से वहाँ की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है।

हिन्दुस्तान में बहुत समस्याएँ हैं। इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही हिन्दुस्तान की सारी जनता ने कांग्रेस को मत देकर बहुमत से जिताया है। आज हमारी जनता की आशाएँ इन समस्याओं को सुलझाने की ओर लगी हुई हैं।

आज हम देखते हैं कि अपोजिशन बहुत छोटा है। अमृत हमेशा बोड़ा ही होता है और अपोजिशन को आज अमृत की तरह ही काम करना है।

पार्टीज़ चाहे जितनी हों, हम सभी हिन्दुस्तानी हैं और सारे हिन्दुस्तान ने हमको इलेक्ट करके यहाँ पर भेजा है। इसलिए सारे अपोजिशन और सत्तारूढ़ दल को मिलकर हिन्दुस्तान की सारी समस्याओं का समाधान करना है, जो कि बहुत जरूरी है।

एक माननीय सदस्य : राजस्थानी में बोलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हाँ, राजस्थानी तो मैं मांग तो ल्याणी कोणी, अपनी घरीं हैं, कोई बात तो ऐसी है कोण्थी, पर घारी समझ में कोण्थी आवे।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों सर्वसम्मति से मुझे इस उच्च पद के लिए चुनने और लगातार दूसरी बार भी भारी उत्तरदायित्व बहन करने का सम्मान एवं विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यन्त अभारी हूँ। मैं अपनी संसदीय प्रणाली की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप, अपनी पूरी योग्यतानुसार अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास करूँगा। तथा संविधान और इस सम्मानित सभा के माननीय सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के रक्षार्थ जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ अवश्य करूँगा।

अध्यक्ष के रूप में, अपने गत समय में, यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे सभा में सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। पांच वर्षों के मेरे अनुभव ने मुझे इस वास्तविकता से कायल कर दिया था कि सदस्यों द्वारा उठाई गई मांगें उद्देश्यपूर्ण ईमानदारी से और सप्रयोजन उठाई गई थीं। और इससे मेरा विश्वास सुदृढ़ हुआ और मुझमें आपसी सम्मान, भरोसे तथा दोनों ओर से पर्याप्त मात्रा में लेन-देन के साथ-साथ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में सम्भागी बनने की भावना पनपी। सदस्यों में मतभेद होते थे और विभिन्न मामलों पर उनके अलग-अलग मत थे, परन्तु उनका अन्तिम लक्ष्य और उद्देश्य सदैव राष्ट्र की सेवा करना और महान देश को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाना था।

मित्रो, समतावादी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अभी बहुत सा कार्य करना होगा। हमारे प्रथम प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "जन साधारण का कल्याण ही हमारा ध्येय है।" इस सम्बन्ध में हम इस सभा में जो भी कार्य करें, हमें सर्वदा अपना ध्यान इसी ध्येय पर केन्द्रित करना होगा। इस बारे में मैं अपनी ओर से यह जोड़ देना चाहता हूँ कि जनसाधारण के कल्याण के साथ-साथ हमारी भावना भी अच्छी हो और राष्ट्र-कल्याण को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि हमें इस महान राष्ट्र की गरिमा, अखण्डता और एकता को भी बनाये रखना है क्योंकि जनता ने हमें यह दायित्व सौंपा है। हमें सर्वदा स्मरण रखना होगा कि हमें अपने देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करनी है तथा राजतन्त्र में धर्म-निरपेक्षता बनाये रखनी है। हमें जनता को यह दिखाना होगा और उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि चाहे कुछ भी हो, मानव मानव है, इस देश का प्रत्येक जन पहले भारतीय है और वह सर्वदा भारतीय रहेगा। यह सिद्धांत ही हमारा मुख्य रूप से मार्ग दर्शन करेगा। यदि संसद को राज्यतन्त्र में एक संरक्षक के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका निभानी है तो संविधान की प्रस्तावना में दिये गये देश के उद्देश्यों को प्रति इसे सर्वदा जागरूक रहना होगा। यह संविधान के आधार-स्तम्भ हैं जो हमने स्वयं को दिये हैं। आज भी हमारे समक्ष वहीं प्राथमिकताएं और वचनबद्धता है।

12.00 मध्याह्न

अतः जाति, धर्म और प्रांतीयतावाद के संकुचित विचारों से ऊपर उठ कर हमें सरदार भगत सिंह, मदन लाल दींगरा, अस्फाकुल्ला, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, जैसे महान शहीदों तथा स्वतन्त्रता संग्राम के अन्य अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों के निस्वार्थ बलिदानों, जिन्होंने इस महान देश की स्वतन्त्रता के लिये अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, के अनुरूप सिद्ध करना होगा। 30 जनवरी, 1948 को जो भयंकर त्रासदी हुई थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार कर मार दिया गया था जिस घटना ने समूचे राष्ट्र को हिला कर रखा था, उसी प्रकार भयंकर त्रासदी 31 अक्टूबर, 1984 को पुनः हुई जब प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की क्रूर हत्या कर दी गई, वे एक ऐसी महान शक्ति थी, जो इस महान देश की एकता बनाये रखने के लिए बिघटन-कारी एवं सम्प्रदायवादी शक्तियों से सर्वदा संघर्ष करती रहीं। इन आदर्शों के पालन में अब भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए और अन्य बातों पर इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भारत के लिये लोकतन्त्र कोई नयी पद्धति नहीं है जैसा कुछ लोग गलती से सोचते हैं। वास्तव में, हमारे लोकतन्त्र का इतिहास बहुत ही पुरातन है—ऋग्वेद में सभा, जनसभा का—राज्य के संविधान के एक भाग के रूप में उल्लेख आता है। सभी नागरीकों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे उस सभा में सक्रिय रूप से भाग लें और गरिमामंडित हों। सभा का व्युत्पत्ति अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां सभी सम्मिलित रूप से यश को प्राप्त होते हैं।

सर्वे नन्दन्ति यशसामतेन

सभा साहेन सख्या सखायः।

कित्विष सपूत, पितृषणिरह्येषाम

अरंरिती भवति वजिनाय॥

इसका अनुवाद इस प्रकार है :

"सभा में विजय-मंडित मित्र को पाकर सभी लोग प्रफुल्लित होते हैं। वे उनकी बुराई से रक्षा करता है, उनका अन्नदाता बनता है। वे सदैव संघर्ष के लिए तत्पर रहता है।"

‘सभा’ का यह अर्थ होता है, संसदीय लोकतन्त्र में वाद-विवाद, विचार-विमर्श तथा सहमति से सरकार अथवा राज्य चलता है। इसकी पहली अनिवार्य शर्त यह है कि सभा के सभी बगों का प्रभावी एवं अर्थपूर्ण सहयोग हो। इस पद्धति में विपक्ष की भी वैसी ही महत्वपूर्ण भूमिका है जैसी सरकार बनाने वाले सत्तारूढ़ दल की। एक अच्छी सरकार के संचालन में इसका भी समान दायित्व है। इसका कार्य केवल विरोध के लिए विरोध करना नहीं है। इसे देश के सर्वोच्च हित में सकारात्मक भूमिका निभानी होती है। सभा में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सभी को समान रूप से उपलब्ध है। साथ ही माननीय सदस्यों को यह भी याद रखना चाहिये कि उनके विपक्षियों को भी भावच देने की आजादी है। प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाये। विसम्मति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। हमारे देश में लोकतांत्रिक परम्पराओं ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। आज की लोकसभा में युवाओं का उत्साह उछल रहा है, उसमें सद्भावना है और राष्ट्र निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाते रहने की उत्कट भावना है। हम सभी को इस सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच पर आम आदमी ने चुन कर भेजा है ताकि हम उसके अधिकारों और हितों की रक्षा कर सकें। अतः हमें अपनी पूरी योग्यता और क्षमतानुसार उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये।

आज हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पुराने व्यवस्था का स्थान नवीन व्यवस्था लेती है। आज ऐसी नई सरकार बनी है जिसके पीछे विशाल बहुमत है। तथापि संसदीय प्रणाली का अस्तित्व ही नियंत्रण, संतुलन एवं उत्तरदायित्व पर ही आधारित है। सरकार अपने प्रत्येक किये गये कार्य और लिए गये निर्णय के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी है। अतः हाल ही में निर्वाचित सदस्यों के लिए यह महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है कि वे सतर्क रहें और पूरी जानकारी रखें, अनुशासित और जागरूक बने रहें। उत्तरदायित्व की भावना को सावधानीपूर्वक पनपने दें और उसका अनुरक्षण करें। इस सभा ने स्वयं को कुछ मानदण्ड, परम्पराएं, नियम और प्रक्रियायें दी हैं, जिनका दोनों पक्षों द्वारा सम्मान और पालन किया जायेगा। हमने नियमानुसार चलना है। यदि ये नियम हमारे आड़े आते हैं तो उन्हें बदलने की हमें आजादी है। लेकिन जब तक उन्हें बदला नहीं जाता तब तक वे पुनीत हैं क्योंकि मुझे तो आप द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही चलना है। मुझे उन्हें बदलने का अधिकार नहीं है। मैं तो उन्नति की व्याख्या ही कर सकता हूँ। उन्हें बदलने का अधिकार तो आप सदस्यों के पास है। जब आप उचित समझें, ऐसा कर सकते हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि सभा को गरिमापूर्ण और नियमानुसार चलाने के लिये दोनों पक्ष मुझ से सहयोग करें।

हो सकता है कि नये सदस्य उत्साह में आकर ऐसे ढंग से कार्य करने लगे जो सभा के सुचारु संचालन के अनुकूल न हो, मैं ऐसे सभी नये सदस्यों को सावधान करना चाहता हूँ। उन्हें शुरु से ही बहुत सतर्क रहना है। अपने उत्साह में उन्हें असंसदीय या अभद्र ढंग से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं करना चाहिये। आपस में बहुत ताल-मेल रहना चाहिये। उन्हें यह बात जरूर सीखनी चाहिये। आप जितना अधिक सीखेंगे, उतना ही आप महसूस करेंगे कि उन्हें कितनी कम जानकारी है। और इस तरह वे दोबारा अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। हम सभी इसी तरह सीखते हैं और सिद्धान्तों का पालन तथा लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं जो वे हमसे चाहते हैं। इस सभा पटल पर पूरे समाज के बारे में परस्पर विचार करते हैं और हमारी राज-व्यवस्था में विभिन्न मत-मतांतर की शक्तियाँ राष्ट्रीय स्तर पर अर्थपूर्ण वार्ता करती हैं ताकि कार्य में आदर्श गतिशीलता प्राप्त की

जा सके। नई सरकार को विपक्ष के साथ लगातार सम्पर्क बना कर रखना है क्योंकि विपक्ष ही सरकार की आंख और कान का कार्य करेगा। संसद एक 'केलाइडोस्कोप' की तरह है और अध्यक्ष उसके बदलते हुए प्रतिबिम्ब (स्पेक्ट्रम) पर सतत नज़र रखते हैं।

मैं आपकी गर्मजोशी और उदार भावनाओं से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अपने पद का जो गुरुभार मुझ पर पड़ा है, आशा है उसे सफलता पूर्वक सम्भालने में भी आप मुझे उतना ही सहयोग देंगे। आप के सहयोग में ही यह संभव हो सकेगा। यह चेम्बर आपका है, मेरा नहीं। मेरे कान और मेरी आंखें आपकी ओर हैं (ब्यबधान) हां आप उन्हें मत पकड़िये, हो सकता है, उस से आपको चोट लगे।

प्रो. मधु बच्छवते (राजापुर) : वे राष्ट्रीयकृत हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, वे राष्ट्रीयकृत हैं, आप ठीक कहते हैं। लेकिन मैं चम्हंगा कि आप किसी भी विषय पर मुझ से सलाह करें। मैंने बार-बार इस सभा में कहा है और सदस्यों को पता होगा और मैंने उन्हें सदा विश्वास दिलाया है कि सज्जनों किसी भी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर या ऐसे किसी भी मामले पर जिसे आप महत्वपूर्ण समझते हैं, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पहले यहां मिल कर बैठें ताकि हम नियमों और विनियमों के अनुसार उसे कर सकें और हमें कोई अन्य मार्ग न अपनाना पड़े। एक दूसरा तरीका "शून्य काल" है। हम इसके बिना भी काम चला सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सुझाव पर सदा विचार करने के लिए तैयार हूँ और मैं सभा के सभी सदस्यों से किसी भी समय बातचीत करने को तैयार हूँ। मैं विकल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ।

प्रो. मधु बच्छवते : महोदय, आप स्वयं "शून्य काल" में बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि "शून्य काल" है ही नहीं और मैं नियमों का पालन करूंगा।

मैं निष्पक्ष रहकर सभा की गरिमा को बनाए रखने और इसे बढ़ाने का भरसक प्रयास करूंगा। इस सभा ने मुझमें जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिए मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ हमारे सामने बड़े-बड़े कार्य हैं। ये कार्य रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण सहयोग से ही किए जा सकते हैं। आओ, हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम समर्पण और निष्ठा से इस देश की जनता की सेवा करेंगे तथा अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। आपने जो भी विचार व्यक्त किए हैं उसके लिए पुनः धन्यवाद।

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय कराएं।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय कराता हूँ।

श्री पी. वी. नरसिंह राव

रक्षा मंत्री

श्री एस. बी. चव्हाण

गृह मंत्री

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह

वित्त मंत्री तथा अस्थायी रूप से प्राणिक्य और पूर्ति मंत्रालय का कार्य देखेंगे।

श्री अब्दुल गफूर

निर्माण और आवास मंत्री

श्री अशोक सेन

विधि और न्याय मंत्री

श्री बी. शंकरानन्द

सिंचाई और विद्युत मंत्री

श्री बंसी लाल

रेल मंत्री

श्री बूटा सिंह

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री

श्री एच. के. एल. भगत

संसदीय कार्य मंत्री

श्री कृष्ण चन्द्र पंत

शिक्षा मंत्री

श्रीमती मोहसिना कियर्षी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

राव बीरेन्द्र सिंह

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री

श्री बंसत साठे

इस्पात, खान और कोयला मंत्री

श्री बीरेन्द्र पाटिल

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा अस्थायी रूप से उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय का काम भी देखेंगे।

अब मैं उन राज्य मंत्रियों का परिचय कराता हूँ जिनके पास विभागों का स्वतन्त्र प्रभार है :

श्रीमती मारगाचम चन्द्रशेखर

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री

श्री नवल किशोर शर्मा

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्री रामनिवास मिर्घा

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्री टी. अंजैया

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्री बी. एन. गाडगिल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री इस प्रकार हैं :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. श्री आरिफ मोहम्मद खां | उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 2. श्री अरुण नेहरू | विद्युत विभाग में राज्य मंत्री |
| 3. श्री अशोक गहलोत | पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 4. श्री बीर सेन | पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 5. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर | ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री |
| 6. श्री गुलाम नबी आजाद | संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 7. श्री एच. आर. भारद्वाज | विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 8. श्री जनार्दन पुजारी | वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 9. श्री खुर्शीद आलम खां | विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 10. श्री के. पी. सिंह देव | कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री |
| 11. श्री के. आर. नारायणन | योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 12. श्री माधव राव सिन्धिया | रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 13. श्रीमती मार्गरेट अल्वा | संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 14. श्री नटवर सिंह | इस्पात विभाग में राज्य मंत्री |
| 15. श्री पी. ए. संगमा | वाणिज्य और पूति मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 16. श्री आर. के. जयचन्द्र सिंह | युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री |
| 17. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा | गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 18. श्री शिवराज वी. पाटिल | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री |
| 19. श्री योगेन्द्र मकवाना | स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री |

मेरे दो संसदीय सचिव इस प्रकार हैं:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. श्री ओस्कर फर्नांडीस | प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव |
| 2. श्री अहमद पटेल | प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव |

श्री ईरासु अब्द्यापू रेड्डी (कुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक संबैधानिक प्रश्न के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। उस दिन मैंने देखा कि मंत्रियों को अलग-अलग शपथ न दिलाकर एक साथ शपथ दिलाई गई। क्या संविधान के अन्तर्गत इसकी अनुमति है? इस सम्मानित सभा में भी इस तरह से शपथ नहीं दिलाई गई। 1952 से ऐसा कभी नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। माननीय सदस्य आपको यह महसूस करना चाहिये कि सभा में जो कुछ भी होता है, हमारा संबंध उसमें होता है और सभा में जो कुछ भी हुआ है वह नियमों और विनियमों के अनुसार हुआ है। इसकी चिन्ता न करें।

श्री ईरासु अब्द्यापू रेड्डी : यह एक संबैधानिक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। समारा संबंध सभा में जो कुछ होता है उससे है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : यह सही नहीं है। हम इस पर अलग से चर्चा कर सकते हैं। हमें इस पर अलग से चर्चा करनी होगी। इसलिए कृपया ऐसा न कहें।

अध्यक्ष महोदय : हाँ। इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। हमारा जिससे संबंध है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। हमारा संबंध तो केवल उससे है जो कुछ यहां होता है।

श्री सुविनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हमें इस पर बाद में चर्चा करनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित रूप में कुछ भी दे सकते हैं। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सुविनी जयपाल रेड्डी : सभा में उनका परिचय सामूहिक रूप में कराया जा सकता था। हमें उनका परिचय अलग-अलग क्यों कराया गया है? मेरा व्यवस्था का प्रश्न यही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है। देखिए आप को सीखना चाहिए।

अब सभा कल, 17 जनवरी, 1985 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे पश्चात् पुनः सम्बैत होने तक के लिए स्थगित होती है।

12-14 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 17 जनवरी, 1985/27 पौष, 1906 (शक) को राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे के बाद तक के लिए स्थगित हुई।